उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-252/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(39)-2009

लखनऊ::दिनांक: 29 जनवरी, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में दिनांक 29 जनवरी, 2009 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

अनुसूची-चार में, कम संख्या 3, 4(क) एवं 4(ख) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कमशः स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
3	पेट्रोल	नि0/आ0	26.55%
4(क)	डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में परिभाषित है, जब पंजीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई* को गैर वैट माल से भिन्न करयोग्य माल के निर्माण प्रकिया में प्रयोग के लिये कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाए।	नि0/आ0	5%
4(ख)	डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में परिभाषित है, कम संख्या- 4(क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि0/आ0	17.23%

*नोटः-इस अनुसूची के सम्बन्ध में औद्योगिक इकाई का तात्पर्य निजी स्वामित्व की या किराये पर ली गई भूमि व भवन पर स्थापित फैक्ट्री व कार्यशाला से है।

आज्ञा से,

(देश दीपक वर्मा)

प्रमुख सचिव।